

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 78 / 2016ईफौ

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 78 / 2016

संस्थापित दिनांक 16 / 02 / 2016

फाईलिंग नम्बर 230303001812016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र बंशी कुशवाह उम्र 45 वर्ष
 2. मलखान सिंह पुत्र बंशी कुशवाह उम्र 42 वर्ष
 3. रूपसिंह उर्फ रूपा पुत्र मलखान कुशवाह उम्र 24 वर्ष
 4. चेताराम पुत्र बदन सिंह कुशवाह उम्र 40 वर्ष
- निवासीगण— ग्राम सिरसौदा थाना गोहद, जिला भिण्ड,
म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 504 एवं 325 / 34 भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0 पी0 एस0 गुर्जर)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 07.09.2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 02.02.16 को 19:30 बजे शोभालाल के पुरा के पास ग्राम सिरसौदा गोहद में रोड पर फरियादी रमेश सिंह बघेल को अपमानित करने के आशय से गाली गलौज कर प्रकोपित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश सिंह बघेल की लाठी , डंडों से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 504 एवं 325 / 34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.02.16 को शाम करीबन साढ़े सात बजे फरियादी रमेश अपने घर से मालनपुर ड्यूटी करने साइकिल से जा रहा था तो शोभालाल के पुरा के पास उसकी साइकिल फरियादी रूपसिंह की साइकिल से टकरा गई थी

इसी बात पर उसका विवाद हो गया था जिस पर रूपसिंह ने अपने घर से आरोपी नारायण, चेताराम एवं मलखान को बुला लिया था उक्त लोग लाठी डंडे लेकर आ गए थे। रूपसिंह ने उसके बांये हाथ में लाठी मारी थी एवं चेताराम ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी तथा गाली गलौंच किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अदम चैक क्र० 21/16 लेखबद्ध की गई थी एवं फरियादी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था फरियादी की चिकित्सकीय रिपोर्ट में फरियादी के अस्थिभंग होना लेखबद्ध होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 43/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-

1. क्या घटना दिनांक 02.02.16 को 19:30 बजे शोभालाल के पुरा के पास ग्राम सिरसौदा गोहद में रोड पर फरियादी रमेश सिंह बघेल को अपमानित करने के आशय से गाली गलौंच कर प्रकोपित किया?

2. क्या घटना दिनांक को फरियादी रमेश सिंह बघेल के शरीर पर उपहतिया थीं? यदि हां तो उनकी प्रकृति?

3. क्या उक्त उपहतियां फरियादी रमेश सिंह बघेल को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गई ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रमेशपाल आ०सा००१, मोहर सिंह आ०सा००२, डॉ आलोक शर्मा आ०सा००३, प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन आ०सा००४, बंटी आ०सा००५, टी०आई० रामनरेश यादव आ०सा००६, एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह कुशवाह आ०सा००७ को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रमेश आ०सा००१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8-9 महीने पहले की है वह ड्यूटी जा रहा था उसकी साइकिल रूपसिंह की साइकिल से टकरा गई थी तो

रूपसिंह ने उसके साथ गाली गलौंच किया था उसने भी रूपसिंह को थोड़ा गाली गलौंच किया था। साक्षी मोहरसिंह अ0सा02 ने भी रूपसिंह द्वारा फरियादी रमेश से गाली गलौंच किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

8. इस प्रकार फरियादी रमेश अ0सा01 एवं मोहरसिंह अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपी रूपसिंह द्वारा गाली गलौंच करना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से आरोपी रमेश ने कौन से शब्द अभिव्यक्त किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी रमेश को प्रकोपन हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0द0स0 की धारा 504 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को प्रकोपित करने के आशय से शब्द उच्चारित किए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रमेश अ0सा01 एवं मोहरसिंह अ0सा02 ने आरोपी रूपसिंह द्वारा गाली गलौंच करना तो बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी रूपसिंह ने वास्तविक रूप से कौन से शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी रूपसिंह को प्रकोपन कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भादस की धारा 504 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ आलोक शर्मा अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 02.02.16 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में आरक्षक संजय पाण्डेय द्वारा लाए जाने पर फरियादी रमेश का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने रमेश के शरीर पर दो चोटें पाई थी जिनमें से चोट क्र0 1 बांयी अग्र भुजा में नीलगू निशान एवं चोट क्र0 2 दाहिने घुटने पर छिलन का घाव स्थित था उसके मतानुसार उक्त चोटें कड़ी एवं मौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी चोट क्र01 की प्रकृति जानने के लिए उसने एकसरे की सलाह दी थी चोट क्र0 2 साधारण प्रकृति की थी उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 03.02.16 को आहत का एकसरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने फरियादी रमेश की बांयी अल्ना अस्थि में अस्थिभंगन होना पाया था उसकी एकसरे रिपोर्ट प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है।

10. फरियादी रमेश अ0सा01 ने भी अपने कथन में मारपीट में उसके हाथ में चोट आना बताया है। साक्षी मोहरसिंह अ0सा02 ने भी अपने कथन में फरियादी रमेश के हाथ एवं पीट में चोट आना बताया है साक्षी बंटी अ0सा05 ने भी झगड़े के दौरान फरियादी रमेश के चोट आना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी रमेश के शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में

भी फरियादी रमेश के शरीर पर चोटें होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 का कथन प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्ट रहा है उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 के कथन की पुष्टि साक्षी मोहर सिंह अ0सा02 डॉ आलोक शर्मा अ0सा03 एवं बंटी अ0सा05 द्वारा भी की गई है। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उनकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी रमेश अ0सा01 के शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखंडनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

11. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी रमेश के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति गंभीर थी।

विचारणीय प्रश्न क्र0 3

12. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहतियां फरियादी रमेश अ0सा01 को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गई थी? उक्त संबंध में फरियादी रमेश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8 महीने पहले 2 फरवरी की सुबह साढ़े सात बजे की है। वह ड्यूटी पर जा रहा था। रूपसिंह की साइकिल उसकी साइकिल से टकरा गई थी तो रूपसिंह ने उसके साथ गाली गलौंच कियाथा फिर रूपसिंह ने अपने घर से भाई और चाचा को बुलाकर उसकी मारपीट की थी। रूपसिंह ने उसके सामने से लाठी मारी थी जो उसके हाथ में लगी थी चेताराम ने पीछे से लाठी मारी थी जो उसकी पीठ में लगी थी। शेष दोनों आरोपीगण खड़े रहे थे रूपसिंह और चेताराम ने लाठी मारी थी गांव के दो लोग बंटी और मोहरसिंह आ गए थे जिन्हें देखकर आरोपीगण इधर उधर हो गए थे। उसके बाद उसने थाने पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र0पी01 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था पुलिस 10 दिन बाद उसके घर झगड़े की पूछताछ करने के लिए आई थी।

13. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन नारायण एवं मलखान के पास लाठी थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि जब उसकी और रूपसिंह की साइकिल आपस में टकराई थी उस समय रूपसिंह के पास लाठी नहीं थी। साइकिल टकराने से वह और रूपसिंह गिर पड़े थे वह बांये हाथ की ओर गिरा था एवं रूपसिंह दाहिने हाथ की तरफ गिरा था जब वह गिरा था तब मोहरसिंह एवं बंटी मौजूद थे। उसकी पीठ में नीचे की तरफ चोट थी तथा गर्दन में पीछे से आगे की तरफ चोट आई थी। पद क्र0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह उस दिन ड्यूटी पर नहीं गया था क्योंकि उसका हाथ टूट गया था। घटनास्थल पर रूपसिंह उसे छोड़कर अपने घर चला गया था एवं अपने घरवालों को लेकर वापिस आया था उस बीच उसने किसी को बुलाया नहीं था वह वहीं खड़ा रहा था। पद क्र0 6 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसका बांया हाथ साइकिल से गिरने से टूटा था एवं व्यक्त किया है कि लाठी की मारपीट से टूटा था।

14. साक्षी मोहरसिंह अ0सा02 एवं बंटी अ0सा05 ने भी फरियादी रमेश अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश की मारपीट किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

15. टी0आई0 रामनरेश यादव अ0सा06 ने प्र0प्र01 की अदम चैक को प्रमाणित किया है प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा04 ने प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा07 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

16. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

17. बचाव पक्ष की ओर से आरोपी रूपसिंह वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है रूपसिंह वा0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह रात्रि 8-9 बजे गल्ला मंडी में काम करके साइकिल से आ रहा था तो उसकी साइकिल रमेश की साइकिल से टकरा गई थी एवं वह दोनों लोग गिर गए थे गिरने से उसके व रमेश के घुटने में चोट आई थी। फिर वह घर चला गया था उसे दो-तीन दिन बाद पता चला था कि रमेश ने उसकी रिपोर्ट कर दी है उसका रमेश से कोई झगडा नहीं हुआ था रमेश गाली देकर चला गया था।

18. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रमेश अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह साइकिल से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो उसकी साइकिल रूपसिंह की साइकिल से टकरा गई थी तो रूपसिंह ने उसके साथ गाली गलौंच किया था फिर रूपसिंह ने अपने घर से अपने भाई एवं चाचा को बुलाकर उसकी मारपीट की थी रूपसिंह ने उसके हाथ में लाठी मारी थी तथा चेताराम ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी शेष दोनों आरोपीगण खडे रहे थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि नारायण एवं मलखान के पास भी लाठी थी। इस प्रकार फरियादी रमेश अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी रूपसिंह एवं चेताराम द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना बताया है एवं यह भी बताया है कि मारपीट में उसके हाथ के अतिरिक्त पीठ में तथा गर्दन में पीछे से आगे की ओर चोट आई थी परंतु उक्त साक्षी की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी02 में फरियादी रमेश के पीठ एवं कंधे पर चोट होने का उल्लेख नहीं है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 के कथन प्र0पी02 की चिकित्सकीय रिपोर्ट से पुष्ट नहीं है एवं उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को किंचित बढा चढाकर प्रस्तुत किया गया है परंतु मात्र इस आधार पर फरियादी रमेश अ0सा01 के संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

19. साक्षी मोहरसिंह अ0सा02 ने भी अपने कथन में फरियादी रमेश अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन रूपसिंह की साइकिल रमेश

की साइकिल से भिड़ गई थी तो रूपसिंह ने रमेश के हाथ में डंडा मारा था तथा चेताराम ने रमेश की पीठ में डंडा मारा था एवं नारायण और मलखान बगल में खड़े रहे थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब रूपसिंह और रमेश की साइकिल टकराई थी तो रूपसिंह एवं रमेश गिरे नहीं थे तथा यह भी व्यक्त किया है कि घटनास्थल से रूपसिंह डंडा लेने अपने घर नहीं गया था। इस प्रकार मोहरसिंह अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि रूपसिंह एवं रमेश साइकिल टकराने से गिरे नहीं थे एवं रूपसिंह डंडा लेने के लिए अपने घर नहीं गया था जबकि फरियादी रमेश अ0सा01 का कहना है कि साइकिल टकराने से वह और रूपसिंह गिर गए थे फिर रूपसिंह उसे घटनास्थल पर छोड़कर अपने घर चला गया था एवं अपने घर वालों को लेकर वापस आया था इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 एवं मोहर सिंह अ0सा02 के कथन परस्पर किंचित विरोधाभासी रहे हैं परंतु उक्त विरोधाभास इतना तात्विक नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद मान लिया जाए।

20. साक्षी बंटी अ0सा05 ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा रमेश की मारपीट करना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि रूपसिंह एवं रमेश की साइकिल आपस में टकरा गई थी साइकिल टकराने के बाद झगड़ा हुआ था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण के हाथ में लाठी डंडे थे। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह यह नहीं बता सकता कि किस आरोपी के हाथ में क्या था परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 02.02.16 की है एवं साक्षी बंटी अ0सा05 के कथन न्यायालय में दिनांक 27.12.16 को हुए हैं ऐसी स्थिति में समय का लंबा अंतराल होने के कारण यह स्वाभाविक है कि साक्षी को यह याद न हो कि किस आरोपी के हाथ में क्या था परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि आरोपीगण के हाथ में लाठी डंडे थे एवं आरोपीगण ने रमेश की मारपीट की थी तथा उसने झगड़े का बीच बचाव किया था।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्र0पी01 की अदम चैक पर यह लेख नहीं है कि उस पर लगा निशानी अंगूठा फरियादी रमेश का है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि प्र0पी01 की अदम चैक में अंकित निशानी अंगूठे पर अंगूठा लगाने वाले का नाम अंकित नहीं है परंतु फरियादी रमेश अ0सा01 ने अपने कथन में प्र0पी01 की रिपोर्ट पर अपना निशानी अंगूठा होना स्वीकार किया है। टी0आई0 रामनरेश यादव अ0सा06 ने भी फरियादी रमेश की सूचना पर प्र0पी01 की अदम चैक लेखबद्ध करना बताया है। ऐसी स्थिति में प्र0पी01 की अदम चैक में फरियादी रमेश का नाम निशानी अंगूठे पर अंकित न होने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि फरियादी रमेश को आई चोटें साइकिल से गिरने से आई हैं। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 ने भी यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट साइकिल से गिरने से आना संभव है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। फरियादी रमेश अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसकी

साइकिल रूपसिंह की साइकिल से टकरा गई थी एवं साइकिल टकराने से वह और रूपसिंह गिर गए थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके घुटने की चोट गिरने से आई थी एवं हाथ की चोट लाठी से मारपीट करने से आई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी रूपसिंह वा0सा01 ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसकी साइकिल रमेश की साइकिल से टकरा गई थी जिससे वह दोनों गिर गए थे एवं गिरने से उसके तथा रमेश के घुटने में चोट आई थी। इस प्रकार आरोपी रूपसिंह वा0सा01 ने स्वयं साइकिल से गिरने से फरियादी रमेश के घुटने में चोट आना बताया है। आरोपी रूपसिंह वा0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि साइकिल से गिरने से फरियादी रमेश के बांये हाथ में भी चोट आई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी रमेश ने भी अपने कथन में घुटने की चोट साइकिल से गिरने से आना बताया है एवं बांये हाथ की चोट मारपीट से आना बताया है। आरोपी रूपसिंह वा0सा01 ने भी अपने कथन में साइकिल से गिरने से फरियादी रमेश के केवल घुटने में चोट आना बताया है इस प्रकार आरोपी रूपसिंह वा0सा01 के कथनों से ही यह स्पष्ट है कि फरियादी रमेश के बांये हाथ में आई चोट साइकिल से गिरने से नहीं आई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य एवं स्वयं आरोपी रूपसिंह वा0सा01 के कथनों से यही प्रकट होता है कि फरियादी रमेश अ0सा01 को बांये हाथ में आई चोट मारपीट में आई थी।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रमेश अ0सा01 ने आरोपी रूपसिंह एवं चेताराम द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना तथा नारायण और मलखान का मोके पर लाठी लेकर खड़े रहना बताया है एवं यह भी बताया है कि रूपसिंह ने उसके हाथ में लाठी मारी थी जिससे उसका हाथ टूट गया था उक्त साक्षी के कथन का समर्थन साक्षी मोहरसिंह अ0सा02 एवं बंटी अ0सा05 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। फरियादी रमेश द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गई है एवं फरियादी रमेश अ0सा01 का कथन तात्विक बिंदुओं पर प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां उसके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित है कि घटना

दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी रमेश की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की थी।

26. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के मध्य फरियादी रमेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश की लाठी डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की गई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य सामान्य आशय निर्मित था अथवा नहीं उसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही संभव है। उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रमेश अ0सा01, मोहरसिंह अ0सा02 एवं बंटी अ0सा05 के कथनों से यह दर्शित है कि घटना के समय सभी आरोपीगण मौके पर मौजूद थे एवं सभी आरोपीगण के पास लाठियां थी तथा आरोपी रूपसिंह ने फरियादी रमेश के हाथ में लाठी मारी थी जिससे रमेश को अस्थिभंग कारित हुआ था। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि सभी आरोपीगण घटना के समय मौके पर लाठियां लेकर खड़े थे एवं उनके द्वारा कार्यवाही में भाग लिया जा रहा था ऐसी स्थिति में जहां कि सभी आरोपीगण लाठियां लेकर मौके पर मौजूद हों एवं उनमें से एक आरोपी के द्वारा की गई मारपीट से फरियादी को अस्थिभंग कारित हुआ हो वहां यही माना जाएगा कि सभी आरोपीगण के मध्य फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं सभी आरोपीगण उस कृत्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि आरोपी नारायण, चेताराम, रूपसिंह एवं मलखान मौके पर उपस्थित थे तथा रूपसिंह द्वारा की गई मारपीट से फरियादी को गंभीर उपहति कारित हुई थी ऐसी स्थिति में यही प्रकट होता है कि सभी आरोपीगण के मध्य फरियादी रमेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं आरोपी रूपसिंह द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की गई थी।

27. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य साइकिल टकराने को लेकर आकस्मिक विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद में आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश की लाठियों से मारपीट की गई थी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस आयुध से फरियादी रमेश की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी रमेश को उपहति कारित होना संभव है आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी रमेश को उपहति कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

28. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 02.02.16 को 19:30 बजे शोभालाल के पुरा के पास सिरसौदा गोहद में रोड पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश बघेल की लाठियों से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति

कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी नारायण, चेताराम, मलखान सिंह एवं रूपसिंह को भादस की धारा 325/34 के अंतर्गत दोषी पाती है।

29. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी नारायण, चेताराम, मलखान सिंह एवं रूपसिंह को भादस की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को भादस की धारा 325/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

30. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

पुनश्च:-

31. आरोपीगण एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

32. आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश की मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की गई है ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी नारायण, चेताराम, मलखान सिंह एवं रूपसिंह में से प्रत्येक को भा0द0स0 की धारा 325/34 के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो-दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित करती है।

33. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है। उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

34. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

35. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं

रहे हैं।

तदनुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 07.09.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)